कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.–9454400250 दूरभाष–05462-260403, ई–मेल– spazh-up@nic.in

संख्या–169/2023 दिनांक–21-05-2023

प्रेस विज्ञप्ति

थाना मेहनाजपुर

झोपड़ी में आग लगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

दिनांक 21.05.23 को आवेदक कपिलराम पुत्र हंसलाल राम ग्राम पूरब का पुरा मेहनाजपुर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ ने तहरीर दिया कि दिनांक 20/5/2023 को समय लगभग 9 बजे रात्रि मे मेरे पडोसी प्रमेन्द्र पुत्र तारा नाथ निवासी उपरोक्त शराब पीकर अपनी मंडई मे आग लगा दिया मंडई मे आग लगने से उसके घर के बंगल मे स्थित मेरी मंडई मे भी आग लग गयी जिससे आवेदक का राशन (गेहूँ , चावल) व कपडा जल कर खाक हो गया तथा मेरी मंडई मे बंधी मेरी बकरी व प्रमेन्द्र की मंडई मे बंधा बछड़ा भी जल कर मर गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 106/2023 धारा 436 भादवि थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारी विवरणः

आज दिनांक 21.05.2023 को उ0नि0 रमेश सिह मय हमराही को मुखबिर से सुचना मिली की दिनांक 20.05.23 की रात्रि मे हुई आगजनी की घटना मे जो व्यक्ति शामिल था वह मेहनाजपुर बस स्टैण्ड पर खडा है कही जाने के फिराक मे रोड के किनारे खडा है यदि जल्दी किया जा तो पकडा जा सकता है।

इस सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 मय हमराह मय द्वारा रोड के किनारे खडे व्यक्ति के किनारे खड़े व्यक्ति को पूछताछ के दौरान पहचान होने पर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की पहचान प्रमेन्द्र पुत्र तारा नाथ पूरब का पुरा मेहनाजपुर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ के रुप में हुयी।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 106 /23 धारा 436 भादवि थाना मेहनाजपुर, आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त :-

प्रमेन्द्र पुत्र तारा नाथ पूरब का पुरा मेहनाजपुर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

01.उ0नि0 रमेश सिंह थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

02. का0 अमानत अली थाना मेहनाजपुर ,आजमगढ़

थाना सरायमीर

अवैध रिवाल्वर व कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण:- आज दिनांक 21.05.2023 को सिकरौर सहबरी बाजार में चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति दीदारगंज की तरफ से पैदल-पैदल आता दिखाई दिया, पुलिस टीम दद्वारा टार्च की रोशनी में रूकने का इशारा किया गया तो पैदल आ रहा व्यक्ति हड़बड़ाकर पीछे की तरफ मुड़कर भागने का प्रयास करने लगा, पुलिस वालो को शक होने पर भागने वाले व्यक्ति की तरफ दौड़कर सिकरौर सहबरी चौराहा से करीब 100 मीटर आगे घेरमार कर पकड़ लिया गया।

पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो अपना नाम जितेन्द्र चौहान पुत्र बासदेव चौहान निवासी ग्राम सलाऊद्दीनपुर, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष बताया।

पकड़े गये व्यक्ति की तलाशी लिया गया तो एक रिवाल्वर .32 बोर, 02 जिन्दा कार0 .32 बोर बरामद हुआ ।

बरामदगी का विवरणः-

01 रिवाल्वर .32 बोर

02 जिन्दा कारतूस .32 बोर

पंजीकृत अभियोग-

140/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

जितेन्द्र चौहान पुत्र बासदेव चौहान निवासी ग्राम सलाऊद्दीनपुर, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 34

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 हृदयानन्द पाठक थाना सरायमीर ,आजमगढ़ ।

हे0का0 बीरबल राम, थाना सरायमीर ,आजमगढ़ ।

का0 अजीत यादव,थाना सरायमीर,आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति

थाना मुबारकपुर

किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला वांछित अभियुक्त

पूर्व की घटना-

दिनाक 18.05.2023 को वादी मुकदमा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ की नाबालिग पुत्री के स्कूल से वापस आते समय रास्ते मे रोककर अभियुक्त जहीर अनवर पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी ग्राम अमिलो थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा रोककर छेड़खानी करने, अश्लील टिप्पणी के सम्बन्ध में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 232/2023 धारा 294/354 भादवि व 9/10 पाक्सों एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 21.05.2023 को व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव मय हमराह को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आपके मुकदमे का वांछित अभियुक्त जहीर अनवर पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी अमिलो थाना मुबारकपुर आजमगढ जो अपने घर पर ही मौजूद है इस सूचान पर वांछित अभियुक्त जहीर अनवर पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी अमिलो थाना मुबारकपुर आजमगढ को उसके घर ग्राम अमिलो से समय करीब 10.15 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

जहीर अनवर पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी अमिलो थाना मुबारकपुर आजमगढ

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 232/2023 धारा 294/354 भादवि व 9/10 पाक्सों एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

व0उ0नि0 श्री सुरेश सिंह यादव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ,

का0 शैलेष यादव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

थाना कंधरापुर

पत्नी की हत्या करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

घटनाः-

वादिनी मुकदमा सुरसती देवी पत्नी स्व0 दीपचन्द्र राम निवासी ग्राम खरेवा याकूबपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ के थाना कंधरापुर पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 19/20-05-2023 समय 00.00 मुन्ना राम पुत्र स्व0 मुलचन्द्र राम निवासी नामदारपुर थान कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 48 वर्ष द्वारा वादिनी की पुत्री सुनीता पत्नी मुन्ना राम उम्र करीब 38 वर्ष एक डन्डे से मारकर हत्या कर दिया है।

तहरीर के आधार पर मु.अ.सं. 118/2023 धारा 302/120बी भादवि0 बनाम 1. मुन्ना राम पुत्र स्व0 मुलचन्द राम 2. सुर्गीव राम पुत्र स्व0 मुलचन्द राम 3. तारा देवी पत्नी सुग्रीव राम निवासीगण ग्राम नामदारपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत हुआ है।

गिरफ्तारी विवरणः-

मुकदमा उपरोक्त मे वाछिंत अभियुक्तगण

1. मुन्ना राम पुत्र स्व0 मुलचन्द राम

2. सुर्गीव राम पुत्र स्व0 मुलचन्द राम

3. तारा देवी पत्नी सुग्रीव राम निवासीगण ग्राम नामदारपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ के तलाश के दौरान मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मुन्ना राम पुत्र स्व0 मुलचन्द्र राम निवासी नामदारपुर थान कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 48 वर्ष जो हरिहरपुर तिराह पर मौजूद है कही जाने के फिराक मे है यदी जल्दी किया जाये तो पकडा जा सकता है।

इस सूचना पर थानाध्यक्ष मय फोर्स मय को साथ लेकर हरिहरपुर तिराहा से समय करीब 13.50 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त

मुन्ना राम पुत्र स्व0 मुलचन्द्र राम निवासी नामदारपुर थान कन्धरापुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी

खूना लूद मिट्टी

एक आला कत्ल (लकडी का बेंट),

अभियुक्त का सर्ट

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 118/2023 धारा 302/120 बी भादवि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे
2. हे0का0 सुरेन्द्र शर्मा
3. हे0का0 दुर्गेश कुमार पाल
4. हे0का0 भानू यादव

थाना बिलरियागंज

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 19.05.2023 को वादिनी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि कुन्दन सरोज पुत्र सत्यनारायण सरोज उर्फ सतई सरोज निवासी भगतपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने प्रेम जाल मे फंसा कर शादी करने की बात को लेकर शारीरिक सम्बन्ध बनाया तथा अब शादी से इंकार कर रहा है के सम्बन्ध मे दिया गया जिसके आधर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 183/2023 धारा 376/504/506 भा0द0वि0 बनाम कुन्दन सरोज उपरोक्त पंजीकृत किया गया है ।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 21.05.2023 को थानाध्यक्ष ब्रह्मदीन पाण्डेय थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त कुन्दन सरोज पुत्र सत्यनारायण उर्फ सतई सरोज निवासी भगतपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ को मधनापार मोड़ के पास से घेराबन्दी कर गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त की पहचान कुन्दन सरोज पुत्र सत्यनारायण उर्फ सतई सरोज निवासी भगतपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ हुयी।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

कुन्दन सरोज पुत्र सत्यनारायण सरोज उर्फ सतई सरोज निवासी भगतपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 183/23 धारा 376/504/506 थाना बिलरियागंज आजमगढ़ ।

पुलिस टीम

थानाध्यक्ष ब्रहमदीन पाण्डेय मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

वाहन चेकिंग अभियान

जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा चलाये गए चेकिंग अभियान में 525 वाहनों का चालान

दिनांक- 21.05.2023 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाये गये अभियान में जनपद के कुल 99 स्थानों पर चेकिंग की गई जिसमें कुल 1938 वाहनों को चेक किया गया। बिना नम्बर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवको द्वारा मोटरसाईकिल पर तीन सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 525 वाहनों का चालान किया गया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने गोवध में संलिप्त रहें 04 अपराधियों के विरूद्ध खोली हिस्ट्रीशीट

दिनांक- 19.05.2023 को **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य** द्वारा गोवध में संलिप्त रहें 04 अपराधियों के विरूद्ध क्रमशः थाना फूलपुर से 02 व थाना दीदारगंज से 02 अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गयी, जिनकी निगरानी की जा रही है।

➡ हिस्ट्रीशीट खोले गये 04 अपराधियों के नाम निम्नवत है-

1.मो0 असहद पुत्र अबरार अहमद निवासी नेवादा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़। (गोवध, HS NO. - 13बी)

2. अनवर उर्फ मुन्नू पुत्र इरशाद अहमद उर्फ खुर्शीद निवासी नेवादा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़। (गोवध, HS NO. - 14बी)

3. इम्तेयाज पुत्र इन्द्रीश निवासी फूलेश थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़। (गोवध, HS NO. - 07बी)

4. नौशाद पुत्र नौबाद निवासी कुशलगांव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़। (गोवध, HS NO. - 08बी)